रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239713
CG-DL-E-17102022-239713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944
No. 694] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 781(अ).—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों को भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

2. ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

भारतीय तार नियम, 1951 (इसके बाद इसे उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 525, उप-नियम (2), खंड (v) में मद (त) के बाद निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा, नामत:-

"(थ) भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से भारतनेट (चरण-II के तहत राज्य आधारित मॉडल को छोड़कर) के प्रचालन और अनुरक्षण, फर्स्ट लाइन अनुरक्षण और उपयोग, उक्त प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्रचालनगत व्यय प्रभार, भारतनेट चरण-I नेटवर्क के फर्स्ट लाइन अनुरक्षण का वित्तपोषण दो वर्ष की अवधि के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से किया जाएगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम 526 में, शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों "खंड (v) का (ण) और (त)" को शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों "खंड (v) का (ण), (त) और (थ) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 30/13/2021/यूएसओएफ/बीबीएनएल]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव (टी)

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3 के तहत अधिसूचना संख्या एसआर 1546, दिनांक 6 अक्टूबर, 1951 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862(अ), दिनांक 14 दिसंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2022

G.S.R. 781(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereafter referred to as the said rules), in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), after item (p), the following item shall be inserted, namely:—

"(q) for operation and maintenance, first line maintenance and utilisation of Bharat Net (Except State led model under Phase-II) through Bharat Sanchar Nigam Limited, operational expenditure charges for said operation and maintenance, first line maintenance of Bharat Net Phase-I network shall be funded by Universal Service Obligation Fund for a period of two years."

3. In rule 526 of the said rules, for the words, brackets and letters "(o) and (p) of clause (v)", the words, brackets and letters "(o), (p) and (q) of clause (v)" shall be substituted.

[F. No. 30/13/2021/USOF/BBNL]

ANAND SINGH, Jt. Secy. (T)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, under part II, section 3, vide notification number SR 1546, dated 6th October, 1951 and lastly amended vide notification number G.S.R. 862(E) published in the gazette of India under part II section 3, sub-section (i) dated 14th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.